गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक – 05 / प्रवर्तन जोन–8 / 2018 दिनाँक – 29/06/2018

सेवा में,

मैं0 पार्श्वनाथ डवलपर्स प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री संजीव जैन
पार्श्वनाथ टावर, नियर शाहदरा मैट्रो स्टेशन,
शाहदरा, दिल्ली–110032

विषयः– **आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मै0 पार्श्वनाथ डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या 1330/1, 1311/1, 1312/1, 1313/1, ग्राम अर्थला मोहननगर की भूमि पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग पार्श्वनाथ स्टर्लिंग के टावर ब्लॉक टी–1, टावर ब्लॉक नं0–टी–3 हेतु आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 26.06.18 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

शर्तेः–

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संशोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
2. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तो का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति मे होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत Declaration का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढे हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा व उक्त कनेक्शन कराये जाने का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता/विकासकर्ता का होगा।
9. सम्पूर्ण प्रोजेक्ट का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व बोरवेल हेतु नेशनल ग्राउण्ड वाटर आर्थोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
10. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार समय–समय पर परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।
11. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा।
12. कूड़ा निस्तारण हेतु बायोवेस्ट यंत्र की स्थापना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व करनी होगी।
13. मलोत्सारण हेतु स्थल पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित है पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व कियाशील का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संलग्नकः–प्रस्तुत आवेदन पत्र के भाग–(टावर ब्लॉक टी–1, टावर ब्लॉक नं0–टी–3) के शैडूल (अ) (ब) व स की फोटो प्रति साथ में संलग्न है।

29/6/18

29.06.18

(रणवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–8

PARSVNATH DEVELOPERS LTD.
SHAHDARA, DELHI.

2nd July, 2018.

We are enclosing letter No. 05/Pravartan Zone 8/2018 dated 29.6.2018 received from Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad, regarding part completion of Tower 1 and Tower 3 of Sterling Project, alongwith the following drawings, in original for kind information and record please :-

Sl.No.	Title	Drawing No.
1.	Site Layout Plan and Area Statement	01(A-0)
2.	Terrace/Mumty Plan	01(A)
3.	Landscape Plan	02(A-0)
4.	Parking Layout Plan	03(A-0)
5.	Tower (3BED+3T) BASEMENT + STILT +12 Towers T-1 – Floor Plans	4 (A-0)
6.	Tower (3BED+3T) BASEMENT + STILT +12 Towers T-1 – Floor Plans & Area Key Plan	4 A(A-0)
7.	Tower (3BED+3T) BASEMENT + STILT +12 Towers T-1 – Elevations	5 (A-0)
8.	Tower (3BED+3T) BASEMENT + STILT +12 Towers T-1 – Sections	6 (A-0)
9.	Tower (2 BED _ 2T) BASEMENT + STILT + 9 TOWERS T-3 – Floor Plans	10 (A-0)
10.	Tower (2 BED _ 2T) BASEMENT + STILT + 9 TOWERS T-3 – Floor Plans & Area Key Plan	10A(A-0)
11.	Tower (2 BED _ 2T) BASEMENT + STILT + 9 TOWERS T-3 – Elevation	11(A-0)
12.	Tower (2 BED _ 2T) BASEMENT + STILT + 9 TOWERS T-3 – Sections	12(A-0)
13.	Basement Plan & Area Calculation	13 (A-0)

RAMAN 2/7/18
MD's Office.

Shri C.P. Srivastava
G.M.

Encl: as above.

Mr Kuldeep.
2/7/18